

न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ(राज.)
पीठासीन अधिकारी :-विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 192/2024
जीसीएमएस न0 2024/643

1. मैसर्स वण्डर सीमेन्ट लिमिटेड जरिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता शैलेन्द्र सिंह शक्तावत।
प्रार्थी

वनाम

1. राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार निम्बाहेडा तहसील निम्बाहेडा राज०
.....विपक्षी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- 1- अधिवक्ता प्रार्थी - प्रार्थी स्वयं
2- परोकार सरकार - स्वयं उपस्थित

:: निर्णय ::

दिनांक 25.09.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्राथी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 131,136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया ग्राम फलवा की हाल आराजी नम्बर 833,831,832,833/1052,833/1043 के साबिक आराजी नम्बर 663 रकबा 6.17 बीघा होकर संयुक्त खाते में इंतकाल नम्बर 1064 से 1.01 बीघा भूमि मै. वण्डर सीमेन्ट लिमिटेड के नाम अवाप्ति से लीज दर्ज हुई। वक्त रोटेशन जमाबन्दी में कम्पनी के नाम दर्ज भूमि को हटा दिया गया। साबिक आराजी नम्बर 663 रकबा 6.17 बीघा में से पश्चिम दिशा का रकबा 1.01 बीघा कम्पनी के नाम अवाप्त हुआ है जिसका स्पष्ट अंकन अवार्ड से किया हुआ है।
2. अवाप्ति कार्यवाही के दौरान ही सहमति बटवारा दर्ज हो जाने से पुनः जमीन खातेदार के नाम दर्ज होकर अलग-अलग आराजी व खाते दर्ज हो गए हैं। कम्पनी के नाम अवाप्ति से दर्ज भूमि पर अवाप्ति के समय से ही निरन्तर कम्पनी का कब्जा होकर पक्का निर्माण किया हुआ है। अतः नामान्तरण संख्या 1064 से कम्पनी के नाम दर्ज भूमि को पुनः कम्पनी के नाम दर्ज कराने की कृपा करावें।
3. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया, विपक्षी तहसीलदार निम्बाहेडा ने मय अनुशंषा जांच रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की जो निम्नानुसार है:-

ग्राम फलवा की साबिक आराजी नंबर 663 रकबा 6.17 बीघा में से पश्चिम का रकबा 1.01 बीघा वादी कंपनी के नाम अवाप्ति आदेश से ना.क. संख्या 1064 दिनांक 12.11.2009 से दर्ज होकर जमाबंदी सम्वत 2065-68 में अमल हुआ है जो भू प्रबंध व आगे के जमाबंदी रोटेशन में सहवन से व आराजी का सहमति विभाजन हो जाने से अमल नहीं हुआ है। जिसे वादी द्वारा पुनः नाम पर दर्ज कराने हेतु वाद/प्रार्थना-पत्र पेश किया है। प्रसंग आराजी/रकबा की रेकॉर्ड की जांच रिपोर्ट निम्नानुसार है:-



हाल आराजी नंबर 831,832,833,833/1052,833/1053, 833/1043 के साबिक मूल आराजी नंबर 663 रकबा 6.17 बीघा है। साबिक आराजी 663 रकबा 6.17 बीघा में से पश्चिम दिशा का हिस्सा अवार्ड आदेश अनुसार रकबा 1.01 बीघा ना.क.

संख्या 1064 से वादी कंपनी के नाम दर्ज होकर अमल हुआ है। देखने अर्बोर्ड व रेकॉर्ड से अवाप्ति कार्यवाही के दौरान साविक आराजी नंबर 883 रकवा 8.17 बीघा का ना.क. संख्या 867 से अवाप्ति के ना.क. संख्या 1064 से पूर्व ही सहमति वंटवारा रेकॉर्ड में अमल हुआ है। वादी कंपनी के पक्ष अवाप्त होकर नाम पर दर्ज हुई भूमि रकवा 1.01 बीघा(0.26 हैक्टेयर) भूमि पर कंपनी का कब्जा होकर पक्की दिवार बनी हुई है। और अवाप्तशुदा रकवा कंपनी की माइन्स एम.एल. नुं. 22/07 में है। अवाप्ति आदेश से कंपनी वादी को कब्जा दिया जाकर अमल ना.क. संख्या 1064 अनुसार गत आराजी नंबर के पश्चिम दिशा का रकवा 1.01 बीघा कंपनी के नाम दर्ज होना उचित होकर दुरस्ती योग्य है। अवाप्ति आदेश व ना.क. संख्या 1064 से पूर्व ही आराजी का सहखातेदारान में सहमति वंटवाड़ा हो जाने से अवाप्त सम्पूर्ण रकवा हाल आराजी नंबर 833/1043 रकवा 0.32 चाही 4 में श्री शम्भूलाल पिता खेमा चमार सा.देह के नाम वंटवारा से दर्ज है जिसे पुनः संशोधन किये जाने पर ही कंपनी के नाम पूर्व में दर्ज रकवा 1.01 बीघा (0.26 हैक्टेयर) पुनः दर्ज किया जा सकता है। शेष भूमि में हिस्सा अनुसार पूर्व दर्ज सहमति वंटवाड़ा दिशा में रकवा तरमीम किये जाने हेतु संशोधन सारणी निम्नानुसार है:-

क्र. सं.										
1	श्री शम्भूलाल, बद्रीलाल, रतनलाल, गोरधन पिता खेमा चमार, नन्दु पत्नी खेमा सा.देह हि.व. खातेदार	831	0.15	ट्यूबवेल	0.01	श्री शम्भूलाल, बद्रीलाल, रतनलाल, गोरधन पिता खेमा, नन्दु पत्नी खेमा चमार सा.देह हि.व.खातेदार	831	0.14	ट्यूब वेल 0.01	
2	श्री नन्दु पत्नी खेमा चमार	832	0.31	चाही 4	3.76	श्री नन्दु पत्नी खेमा चमार सा. देह खातेदार	832	0.26	चाही 4	
3	बद्रीलाल पिता खेमा चमार सा.देह खातेदार	833 / 1053	0.32	चाही 4	3.72	श्री बद्रीलाल पिता खेमा चमार सा.देह खा.	833 / 1053	0.27	चाही 4 3.12	
4	रतनलाल पिता खेमा चमार सा.देह खा.	833 / 1052	0.32	चाही 4	3.84	रतनलाल पिता खेमा चमार सा. देह खा.	833 / 1052	0.27	चाही 4 3.24	
5	शम्भूलाल पिता खेमा चमार सा.देह खा.	833 / 1043	0.32	चाही 4	3.84	श्री शम्भूलाल पिता खेमा चमार सा.देह खा.	833 / 1043	0.27	चाही 4 3.24	
	गोरधन पिता खेमा चमार सा.देह	833	0.31	चाही 4	3.72	श्री गोरधन पिता खेमा चमार सा.देह	833	0.26	चाही 4 3.12	
						श्री मै. वण्डर सीमेंट लिमिटेड रोड मदनगंज किशनगढ़ अजमेर खनन कार्य हेतु	833 / 1	0.26	माइन्स	



3. दोनों पक्षों के अभिवचनों के आधार पर बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं तहसीलदार निम्वाहेड़ा से प्राप्त जांच रिपोर्ट एवं संशोधन प्रस्ताव का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया एवं प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया।
4. उपर्युक्त तथ्यों के विश्लेषण से पूर्व सर्वप्रथम राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 का उद्धरण प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार है:-


136. Correction of errors. - The Land Record Officer may, at any time, correct or cause to be corrected in the prescribed manner any clerical errors and any errors which the parties interested admit to have been made in the record of rights or register, or which a Revenue Officer may notice during the course of his inspection in any Register:

Provided that when any error is noticed by a Revenue Officer in any record of rights during the course of his inspection, no error shall be corrected unless a notice to show cause has been given to the parties

एवं

धारा 131 में मानचित्र तथा क्षेत्रमिति (फील्ड बुक) का संधारण (Maintenance) - सर्वेक्षण तथा अभिलेख कार्यवाहियों के समाप्त हो जाने के पश्चात् भू-अभिलेख अधिकारी द्वारा व राज्य सरकार द्वारा इस विषय में बनाए गए नियमों के अनुसार मानचित्र तथा फील्ड बुक रखी जाएगी वह प्रतिवर्ष या ऐसे अधिक लम्बे समयान्तर पर जो राज्य सरकार निर्धारित कर प्रत्येक गाँव या गाँव के भाग, भू-सम्पत्ति या खेत की सीमाओं के सब परिवर्तनों को उसमें लेखा लेगा तथा ऐसी गलतियों को जो ऐसे मानचित्र या फील्ड बुक में की गई बतलाई जावे, सही करेगा।

5. इस प्रकार राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 के अवलोकन से स्पष्ट है कि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 के तहत प्रार्थना-पत्र अथवा स्वप्रेरणा से राजस्व रिकॉर्ड में हुई त्रुटियों को संक्षिप्त विचारण कर दुरुस्त किये जाने के प्रावधान बनाए गए हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा जमाबंदी में खातेदारी संबंधी इन्द्राज के प्रारूप तथा अप्रासंगिक राजस्व इन्द्राज को कलमजान करने का अनुतोष बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकार का अनुतोष प्रथम दृष्टया राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा-136 के तहत आवश्यक होने पर दुरुस्त किया जा सकता है।



प्रार्थना पत्र में वर्णित आधारों एवं दस्तावेजों के आधार पर संक्षिप्त सार यह है गत आराजी नम्बर 721 के हाल आराजी नम्बर 849 के दक्षिणी हिस्सा के रकबा 0.72 हैक्टेयर पर एम एल 22/07 के नक्शानुसार वादी कम्पनी का कब्जा होकर मौका पर पक्की दिवार बनी हुई है। सहवन से असल छूट जाने से आराजी नम्बर 849 का दक्षिण का रकबा 0.72 हैक्टेयर प्रस्तावित नक्शानुसार मै वण्डर सीमेन्ट लि0 वादी के नाम इन्द्राज दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

तहसीलदार निम्बाहेडा से मय अभिशंषा प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आदेशित किया जाता है कि ग्राम फलवा की आराजी नम्बर 833,831,832,833/1052,833/1043 में से प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में अवाप्त रकबा 0.26 हैक्टेयर पश्चिम की दिशा में प्रस्तावित तरमीम अनुसार तरमीम करते हुए रकबा 0.26 हैक्टेयर प्रार्थी संख्या 1 मैसर्स वण्डर सीमेन्ट लिमिटेड निम्बाहेडा के नाम दर्ज किया जावे तथा अन्य खातेदारान का रकबा उपरोक्त सारणी अनुसार तरमीम व राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार निम्बाहेडा से प्राप्त प्रस्तावित मौका रिपोर्ट अनुसार तरमीम राजस्व रिकॉर्ड में किये जाने का आदेश दिये जाते हैं। नक्शा ट्रेस निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली फैसल शुनार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.09.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में चुनाव गया।

(विकास पंचौली)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

